संख्या-14/2026/49-3002(001)/2/2024
(I/1248599/2026)

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2026

विषयः- :- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/457620/2026/लेखा-अ/2025-26, दिनांक 09.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान योजनान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक ''2425-सहकारिता, 800-अन्य व्यय, 07-सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 1000.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि रूपये 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान योजनान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक ''2425-सहकारिता, 800-अन्य व्यय, 07-सहकारिता विभाग की **संग्रह** योजना की सहायता हेतु अनुदान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 1000.00 लाख में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रूपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

<u>नियम/ शर्तें/ प्रतिबन्धों</u>

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण व्यय, स्वीकृत की गई धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा पूर्व में तथा उक्त स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ०प्र०, लखनऊ का होगा।

(4) कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया

जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है। अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे किसी खाते में रखा जाता है, जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष मे जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राजकोष से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि वास्तविक रूप से अपेक्षित हो।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रुपये 250.00 लाख (रू० दो करोड़ पचास लाख) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान योजनान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता, 800-अन्य व्यय, 07-सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-2-174-X-2025-26-दिनांक: 20-2-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -
1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय , उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(बैंकिंग), सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
6) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।